



प्रीलमिस फैक्ट्स : 3 जनवरी, 2018

फास्ट फूड पर चेतावनी लेबल हुआ अनिवार्य

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act), 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और वनियमों में फास्ट फूड को अलग से परभाषित नहीं किया गया है।

- तथापि, खाद्य में उच्च वसा, शर्करा और नमक (High Fat, Sugar and Salt - HFSS) तथा संबद्ध स्वास्थ्य जोखिमों से नपिटने के लिये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक विशेषज्ञ गुरुप का गठन किया गया है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा पैक लेबल के आमुख पर अनुशंसित डायटरी अलाऊंस (Recommended Dietary Allowance - RDA) के प्रति इसके अंशदान सहित, प्रत्येक सर्वगि में कुल वसा, संयोजित शर्करा, नमक, ट्रांस फैट और ऊर्जा की अनिवार्य घोषणा शामिल करने के लिये लेबलिंग वनियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 'वयस्कों और बच्चों के लिये शर्करा इनटेक' और खाद्य में उच्च शर्करा के दुष्प्रभाव वषियक दशा-निर्देश विकसित किये गए हैं।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन National Organ & Tissue Transplant Organisation

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ & Tissue Transplant Organisation - NOTTO) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत गठित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। यह संगठन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्थित है।

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) की वेबसाइट का हाल ही में शुभारंभ किया गया है।

एन.ओ.टी.टी.ओ. के नमिनलखिति दो प्रभाग है –

राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक नषिकासन एवं भंडारण नेटवर्क (National Human Organ and Tissue Removal and Storage Network)

- मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम [Transplantation of Human Organs (Amendment) Act], 2011 के अनुसार, इसे अनिवार्य किया गया है।
- यह नेटवर्क प्रारंभिक तौर पर दिल्ली के लिये स्थापित किया जाएगा और इसके पश्चात् इसका वसितार देश के अन्य राज्यों और क्षेत्रों में किया जाएगा।
- एन.ओ.टी.टी.ओ. का राष्ट्रीय प्रभाग देश में अंगों और ऊतकों की खरीद के नेटवर्क अथवा वतिरण के साथ-साथ अंगों और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण के पंजीकरण में सहयोग जैसी अखलि भारतीय गतिविधियों के लिये सर्वोच्च केन्द्र के तौर पर कार्य करेगा।

राष्ट्रीय बायोमैटीरियल केन्द्र (राष्ट्रीय ऊतक बैंक) National Biomaterial Centre (National Tissue Bank)

- इस केन्द्र को स्थापित करने का मुख्य आधार और उद्देश्य वभिन्न ऊतकों की उपलब्धता में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को भरना है।
- अंगों को एक वस्तु बनाना सामाजिक, नैतिक और नीतिपरक मूल्यों के अपक्षरण के समान है और यह एक विकल्प नहीं हो सकता जसै एक सभ्य समाज में अंगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वीकार किया जा सकता हो।
- शरीर और इसके अंग वेबसाइट कारोबार के वषिय नहीं हो सकते। इसी प्रकार से अंगों के लिये धनराशिका भुगतान करना अथवा प्राप्त करना नषिध किया जाना चाहिये।
- अंगों को दान करने के लिये लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये उनके बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

- इसमें नागरिक समाज, धार्मिक नेताओं और सृजनात्मक जागरूकता में अन्य हतिधारकों के शामिल होने की आवश्यकता है।

अंडमान में चीटी की नई स्थानिक प्रजातिका खोज New endemic ants from the Andamans

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा अंडमान द्वीप-समूह के सदाबहार वनों में चीटी की टेट्रामोरियम प्रजाति (Genus Tetramorium) की दो नई स्पीशीज की खोज की गई है।

प्रमुख बंदि

- नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ (National Centre for Biological Sciences -NCBS) बंगलूरु और ओकनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, जापान के वैज्ञानिकों द्वारा अंडमान द्वीप-समूह के हेवलॉक द्वीप में चीटी की दो नई स्पीशीज की खोज की गई है।
- इन दोनों स्पीशीज के नाम टेट्रामोरियम कृष्णानी (Tetramorium krishnani) और टेट्रामोरियम जारवा (Tetramorium jarawa) हैं।
- इन स्पीशीज का नामकरण NCBS के दर्विगत वैज्ञानिक के.एस. कृष्णन के सम्मान में तथा इस द्वीप पर अधवासित जारवा जनजातीय समुदाय के नाम पर किया गया है।
- ये चीटियाँ अंडमान के लिये स्थानिक हैं तथा हेवलॉक द्वीप के सदाबहार वनों की घास फूस (Leaf Litter) में रहती हैं।
- भारत में पहली बार वैज्ञानिकों की टीम ने प्रजातियों की आसान वर्गीकृत पहचान के लिये शारीरिकी संरचनाओं (Anatomical Structures) के वसितृत अध्ययन हेतु चीटी नमूनों के 3-D मॉडल बनाने के लिये एक नॉवेल एक्स-रे माइक्रो सीटी प्रौद्योगिकी (novel X-ray micro CT technology) का इस्तेमाल किया।
- नई तकनीक का उपयोग करते हुए इन 3D छवियों को चीटी आकार वजिज्ञान (ant morphology) के विकास के अध्ययन के लिये प्रजातियों के जेनेटिक प्रोफाइल के साथ मैप किया जा सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर के अंतरगत रविर्स चार्ज मैकेनिज़िम

रविर्स चार्ज मैकेनिज़िम क्या है?

आमतौर पर, माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता (Supplier) पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने का दायित्व होता है। यदि इस कर देयता को आपूर्तिकर्ता की बजाय माल या सेवा की आपूर्तिप्राप्त करने वाले को (Recipient) स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसे जीएसटी के तहत रविर्स चार्ज कहा गया है।

प्रमुख बंदि

- रविर्स चार्ज मैकेनिज़िम जीएसटी के तहत उन प्रावधानों में से है जिनके द्वारा सरकार कर जाल को वसितृत एवं कर की चोरी (tax evasion) को नयित्तरति करना चाहती है।
- जीएसटी में अपंजीकृत व्यक्त द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्त को आपूर्तिकरने पर रविर्स चार्ज मैकेनिज़िम का लागू होना रविर्स चार्ज मैकेनिज़िम का सबसे आम उदाहरण है।
- सरकार द्वारा अधसूचित वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्तिपर यह व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा, रविर्स चार्ज अन्य परस्थितियों में भी लागू होता है।
- एक आयातक (Importer) रविर्स चार्ज मैकेनिज़िम के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को उनके द्वारा दिये गए नेट वैल्यू वाले सामानों या सेवाओं पर कर जमा करना आवश्यक है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC) का सहज प्रवाह केवल तभी संभव होता है, जब व्यवसाय के सभी आपूर्तिकर्ता जीएसटी का भुगतान करते हैं। इसलिये प्रत्येक व्यवसाय यह सुनिश्चित करेगा कि इसके आपूर्तिकर्ता जीएसटी का भुगतान करें ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकें।
- वनिर्मितों द्वारा कच्चे माल की खरीद पर दिये कर का, सरकार द्वारा अंतरगत इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है।
- अल्प मात्रा में कर चोरी के मामलों पर स्व-नयित्तरण मज़बूत होने से कर वभिग द्वारा मानव संसाधनों का कुशल और दक्ष उपयोग किया जा सकता है।